मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2002 (चैत्र 14, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री श्याम सुन्दर पाटीदार, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्रीमती जमुनादेवी, उप मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 4-15-99-छब्बीस-2, दिनांक 30 मार्च 1999, पटल पर रखेंगी.

(2) श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 17 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.23-35-95-पच्चीस-5, दिनांक 28 अक्टूबर 1997, पटल पर रखेंगी.

(3) श्री डोमन सिंह नगपुरे, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 12-21/पच्चीस-4-92, दिनांक 13 मार्च, 1993 द्वारा गठित मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 की अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन, तथा

(ख) मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं/सुझावों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के पालन प्रतिवेदन,

पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह, सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, भिण्ड जिले की रौन थाना अंतर्गत पुलिस द्वारा दो युवकों की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामपाल सिंह, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, भोपाल स्थित एल.एन.सी.टी. कालेज प्रबन्धन द्वारा अनुपस्थित छात्रों से अवैध वसूली किये जाने की ओर राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री तेजसिंह सेंधव, सभापति, लोक लेखा समिति के 223 वां से 234 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री धूल सिंह यादव, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ छत्तीसवां से एक सौ चालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री गनपत सिंह उइके, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

-2-

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बाबूलाल मेवरा, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम पंचायत बगडुआ एवं लिल्लीपुर के शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने,

(2) श्री मानिक सिंह, सदस्य, सीधी जिले के तहसील मुख्यालय चितरंगी में महाविद्यालय खोले जाने,

(3) श्री रामलाल मालवीय (घट्टिया), सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम घट्टिया का नाम परिवर्तित कर संजय ग्राम किये जाने,

(4) श्री जुगुल किशोर, सदस्य, सतना जिले के कोठी-सिंहपुर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने; एवं

(5) श्री बृजमोहन बद्रीनारायण, सदस्य, देवास जिले के -

(क) कासरनी तथा दतुनी नदी पर बांध बनाये जाने,

(ख) आड़ापानी नदी पर बांध बनाये जाने, तथा

(ग) जामनेर नदी पर पुल बनाये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. श्रम मंत्री का वक्तव्य

श्री डोमन सिंह नगपुरे, श्रम मंत्री, बीड़ी श्रमिकों के बारे में श्रम मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसाओं पर शासन द्वारा लिये गए निर्णयों के बारे में वक्तव्य देंगे.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 5 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 1 घन्टा 30 मि.

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) संशोधन विधेयक, 2002 (क्रमांक 2 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घन्टे

(3) श्री महेन्द्र बौद्ध, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि इन्दौर पुलिस आयुक्त विधेयक, 2002 (क्रमांक 1 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ.ए.के.पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 3 अप्रैल, 2002